

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
 प्रकरण क्रमांक 718/2013  
 संस्थापित दिनांक 11/09/2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
 गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. करतार सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह उम्र 35 वर्ष  
निवासी ग्राम कीरतपुरा थाना गोहद चौराहा
2. नीरज पुत्र नारायण उम्र 24 वर्ष  
निवासी ग्राम बरेठा थाना बिजौली जिला ग्वालियर
3. सुनील पुत्र नवल किशोर गौड उम्र 27 वर्ष  
निवासी अर्जन कॉलोनी वार्ड नं04 गोहद
4. बीरू उर्फ उदयसिंह पुत्र बाबूराम उम्र 32 वर्ष  
निवासी चंबल कॉलोनी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 294, 341, 327 भा.दं.सं एवं मो0 अधि. की धारा 3/181, 146/196, 39/192)  
 (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य)  
 (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता— श्री के0के0शुक्ला)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 15.12.17 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 27.08.13 को रात्रि 10:15 बजे नर्सरी के सामने कॉलेज की पुलिया के पास गोहद रोड गोहद चौराहे पर सार्वजनिक स्थल पर फरियादी मानसिंह यादव को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी मानसिंह यादव को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करने, फरियादी मानसिंह यादव से संपत्ति उद्धापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं बिना रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस तथा बीमा के मोटरसाइकिल क्र0 एमपी 07— एमएच— 5535 को चलाने हेतु आरोपी सुनील एवं नीरज पर भा0दं0सं0 की धारा 294, 341 एवं 327 तथा आरोपी करतार सिंह एवं बीरू उर्फ उदयसिंह पर भा0दं0सं0 की धारा 294, 341 एवं 327 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 39/192 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी मानसिंह यादव ट्रक क्र0 यूपी— 83—टी—1667 पर ड्राइवरी करता था। दिनांक 27.08.13 को केशर से ट्रक क्र0 यूपी— 83—टी—1667 में गिट्टी भरकर इटावा के लिए डांग सरकार से रवाना हुआ था। उसके साथ क्लीनर पवन कटेरिया भी था। वह पहाड के रास्ते से निकलकर कॉलेज की पुलिया के पास नर्सरी के सामने आया था तो वहां

दो मोटरसाइकिलों पर बीरू, सुनील, नीरज एवं करतार आ गए थे। ट्रक के सामने गाड़ी लगाकर मोटरसाइकिल ने ट्रक को रोक दिया था। चारों लोग मां बहन की गालियां देने लगे थे एवं चारों लोगों ने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे उसने पैसे देने से मना किया था तो चारों आरोपीगण ने ड्राइवर सीट से खींचकर उसकी थाप घूसों से मारपीट की थी उसे मौके पर पवन ने बचाया था। चारों आरोपीगण मोटरसाइकिल से हाइवे रोड की तरफ भाग गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्रमांक 208/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित आरोप पढ़कर सुनाए व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 27.08.13 को रात्रि 10:15 बजे नर्सरी के सामने कॉलेज की पुलिया के पास गोहद रोड गोहद चौराहे पर सार्वजनिक स्थल पर फरियादी मानसिंह यादव को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी मानसिंह यादव को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया ?

3. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी मानसिंह यादव से संपत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से फरियादी मानसिंह यादव की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

4. क्या आरोपी करतार सिंह एवं बीरू उर्फ उदयसिंह के पास घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाइकिल क्र0 एमपी 07-एमएच-5535 को चलाने का रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा01, ए0एस0आई0 अशोक सिंह तोमर अ0सा02 एवं प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह अ0सा03 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण  
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी मानसिंह एवं साक्षी पवन के अदम पता हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया जा सका है।

9. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०1 द्वारा आहत मानसिंह की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी०1 को प्रमाणित कराया गया है। ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर अ०सा०2 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 27.03.13 को फरियादी मानसिंह यादव की सूचना पर प्र०पी०2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह अ०सा०3 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है तथा व्यक्त किया गया है कि उसने विवेचना के दौरान फरियादी मानसिंह यादव एवं साक्षी पवन सिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे एवं यह भी व्यक्त किया है कि उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०3 लगायत 6 बनाया था जिनके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने आरोपी उदयसिंह से मोटरसाइकिल क्र० एमपी 30 एमबी 2575 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०7 एवं आरोपी करतार सिंह से मोटरसाइकिल क्र० एमपी 07 एमएच 5535 को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०8 बनाया था जिनके क्रमशः ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र०पी०9 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा फरियादीगण को परीक्षित नहीं कराया जा सका है। आरोपीगण के विरुद्ध मात्र औपचारिक साक्षीगण के कथन शेष हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

11. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी मानसिंह एवं साक्षी पवन के अदम पता हो जाने के कारण उक्त साक्षीगण को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका है। शेष साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०1 द्वारा फरियादी मानसिंह की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी०1 को प्रमाणित किया गया है। ए० एस० आई० अशोक सिंह तोमर अ०सा०2 द्वारा प्र०पी०2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है एवं प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण प्रकरण के औपचारिक साक्षीगण हैं। अभियोजन द्वारा प्रकरण में फरियादी मानसिंह एवं साक्षी पवन को परीक्षित नहीं कराया जा सका है शेष सभी साक्षीगण औपचारिक हैं। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपीगण ने फरियादी मानसिंह से संपत्ति उद्घापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट की थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

12. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 27.08.13 को रात्रि 10:15 बजे नर्सरी के सामने कॉलेज की पुलिया के पास गोहद रोड गोहद चौराहे पर सार्वजनिक स्थल पर फरियादी मानसिंह यादव को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ करित किया, फरियादी मानसिंह यादव को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया, फरियादी मानसिंह यादव से संपत्ति उद्घापित

करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं आरोपी करतार सिंह तथा बीरू उर्फ उदयसिंह ने बिना रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस तथा बीमा के मोटरसाइकिल क्र० एमपी 07- एमएच- 5535 को चलाया। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए आरोपी सुनील एवं नीरज को भा.दं.सं. की धारा 294, 341 एवं 327 तथा आरोपी करतार सिंह एवं बीरू उर्फ उदयसिंह को भादसं की धारा 294, 341 एवं 327 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, एवं 39/192 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

14. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

15. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क्र. एमपी 07 एमएच 5535 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जावे एवं जप्तशुदा मोटरसाइकिल क्र० एमपी 30 एमबी 2575 अपील अवधि पश्चात् उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 15.12.17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)